अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री लादूराम महावर निवासी ए–21 वरूण विहार, पालडी मीणा, आगरा रोड, तहसील सांगानेर, पुलिस थाना खो नागोरियान, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

हितेश महावर पुत्र श्री लादूराम निवासी ए–21, वरूण विहार, पालडी मीणा, आगरा रोड, तहसील सांगानेर, पुलिस थाना खो नागोरियान, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 27.07.2023. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 09/2023 ब उनवानी श्रीमती कान्ता देवी बनाम हितेश महावर।

उपस्थित:--

1. अपीलार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 01.08.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 09/2023 ब उनवानी श्रीमती कान्ता देवी बनाम हितेश महावर में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2023 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया घरेलू गृहणी है। जो पूर्णरूपेण अपने पति व पुत्रों पर निर्भर है । अपीलार्थिया की वर्तमान में आयु लगभग 58–60 वर्ष है तथा अपीलार्थिया के पुत्र हितेश महावर की आयु लगभग 34 वर्ष है तथा आकाशवाणी जयपुर में जे ई एन के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थिया के छोटे पुत्र चन्द्रप्रकाश महावर की आयु लगभग 29 वर्ष है जो कि पिछले 4–5 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है एवं मानसिक संतुलन खराब है। जिसका डॉक्टर भावना शर्मा न्यूरोलोजिस्ट का ईलाज चल रहा है। इस कारण अपीलार्थिया को स्वयं के भरण पोषण एवं अपने मानसिक रूप से बीमार पुत्र चन्द्र प्रकाश महावर के ईलाज के लिए 35,000/–रूपये माहवार की आवश्यकता है, जिसे अधीनस्थ अधिकरण ने नजर अन्दाज करते हुये व अपीलार्थी पर निर्भर नहीं होना मान कर भारी भूल की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5,000/–रूपये माहवार भरण पोषण राशि के आदेश में परिवर्तन कर 30,000/–रूपये माहवार किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में इन तथ्यों पर गौर नही किया कि अपीलार्थिया के पति जो कि अध्यापक के पद से दिनांक 30.09.2017 को सेवा निवृत्त हो गये, परन्तु अपीलार्थी के छोटे पुत्र जो कि मानसिक रूप से बीमार है तथा डाक्टर से ईलाज चल रहा है। जिसमें लगभग 30,000/–रूपये प्रति माह से अधिक का खर्चा हो रहा है। प्रत्यर्थी हितेश महावर अपीलार्थी की कोई मदद व आर्थिक सहायता नहीं करता है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी के पति शिक्षा विभाग से सेवा निवृत्त होने व पेंशन प्राप्त कर रहे होने के आधार पर प्रार्थिया व उसके छोटे बीमार पुत्र को अप्रार्थी पर निर्भर नहीं मान कर भारी भूल की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय में संशोधन कर 5000/–रूपये के स्थान पर 30,000/–रूपये मासिक के आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी हितेश महावर की आमदनी 65,000/–रूपये मासिक होना वर्णित किया है और जबाब प्रार्थना पत्र में अपने किसी अन्य दायित्व के पेटे कोई खर्च होता हो इसका कथन नहीं किया है। प्रत्यर्थी, अपीलार्थिया व उसके पति के मकान में रहता है बिजली के महंगे उपकरण ए. सी., कूलर, फ्रीज, वाशिंग मशीन एवं आयरन (स्त्री) आदि उपयोग लेता है इस कारण बिजली का मासिक बिल 15,000/–रूपये के लगभग आता है जो राशि अपीलार्थिया व उसके पति को अदा नहीं करता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.07.2023 को आंशिक रूप से अपास्त कर निर्णय पारित किया जावे कि भरण पोषण राशि के रूप में 5000/– रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 30,000/–रूपये प्रति माह अपीलार्थी को अदा करे व अपीलार्थी एवं उसके पति, व मानसिक रूप से बीमार अविवाहित पुत्र चन्द्र प्रकाश महावर के साथ किसी प्रकार का लडाई झगडा नहीं करे ईलाज में सहयोग करे।

प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि 1 ने दलील प्रस्तुत की कि यह सही है कि उत्तरदाता प्रत्यर्थी आकाशवाणी एम आई रोड, जयपुर में जे ई एन के पद पर पदस्थापित है, जिसकी मासिक पाय 65,000/– रूपये है, परन्तु अपीलार्थिया के बीमार पुत्र चन्द्र प्रकाश की देखभाल उत्तरदाता प्रत्यर्थी के पिता द्वारा ही वहन किया जाता है। क्योंकि उत्तरदाता के पिता शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त है, उनको पेंशन प्राप्त होती है। इसलिए अपीलार्थिया के बीमार पुत्र अर्थात उत्तरदाता का छोटा भाई पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित है। उत्तरदाता प्रत्यर्थी से किसी प्रकार की कोई राशि दिलाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे ।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर बतौर भरण पोषण राशि 30,000/–रूपये मासिक दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी आकाशवाणी में जे ई एन के पद पर पदस्थापित है जिसने 65,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन मिलना स्वीकार किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने आलौच्य आदेश से प्रत्यर्थी हितेश माहवर को अपनी माता अपीलार्थी को 5000/–रूपये बतौर भरण पोषण के दिये जाने का आदेश दिया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में अधिकतम 10,000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के पति शिक्षा विभाग से सेवा निवृत्त कर्मचारी है, जिसको पेंन्शन राशि प्राप्त होती है, परन्तु चूंकि अपीलार्थी का छोटा बेटा व प्रत्यर्थी का छोटा भाई मानसिक रूप से बीमार रहता है। जिसके ईलाज में अधिक राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश को संशोधित किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्यर्थी हितेश महावर अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त भरण–पोषण राशि में प्रतिवर्ष एक हजार रूपये की वृद्वि करते हुए, अधिकतम दस हजार रूपये प्रति माह अपीलार्थिया श्रीमती कान्ता देवी को भुगतान करेगा।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

आदेश आज दिनाक 01.08.2024 को सरे इजालास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner